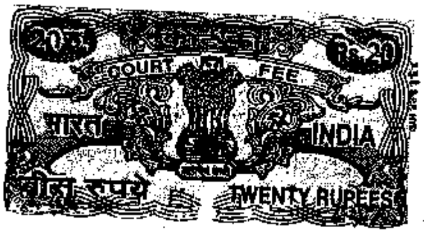

49

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र० क्र० ~~निगरानी 3129–दो~~ विविध / 16   विविध–9109–I/16

दिनांक 5.7.16 को श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभि० द्वारा प्रस्तुत / 5.7.16

सुम्मेर सिंह ----- आवेदकगण

विरूद्ध

म०प्र० शासन ----- अनावेदक

भूल–सुधार वावत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32, म०प्र० भू–राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :–

1– यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 3129–दो/15 में दिनांक 09.06.16 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से आदेश के पैरा 2 के 05 वी लाइन में खसरा नम्बर 754 रकवा 0.92 के स्थान पर 753 रकवा 2.15 टंकित हो गया है, एवं पैरा 2 के 07 वी लाइन में खसरा नम्बर 758 रकवा 0.35 जोड़ा जावे।

अतः मान० न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त आदेश में पैरा 2 के 05 वी लाइन में संशोधन खसरा नम्बर 753 के स्थान पर 754 एवं पैरा 2 के 06 वी लाइन में रकवा 2.15 के स्थान पर रकवा 0.92 एवं पैरा 2 के 07 वी लाइन में खसरा नम्बर 758 रकवा 0.35 जोड़े जाने की कृपा करें।

इति दिनांक 04/07/16

स्थान– ग्वालियर

द्वारा अभिभाषक

रजनी वशिष्ठ शर्मा

एडवोकेट

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9109—एक / 16 **जिला** —टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
6.7.16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर भूल सुधार बावत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। 2— उनका तर्क है कि निगरानी प्र0क0 3129—दो / 15 में पारित आदेश दिनांक 9.6.15 को आदेश पारित किया गया है जिसमें भूल वश त्रुटि से आदेश के पैरा 2 के 5 वी लाईन में खसरा न0 754 रकवा 0.92 के स्थान पर 753 रकवा 2.15 अंकित हो गया है, एवं पैरा 2 की 7 वी लाईन में खसरा न0 758 रकवा 0.35 जोड़ा जावे। 3— आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने जिसमें त्रुटिवश हुई टंकण की त्रुटि को आदेश के पैरा 2 के 5 वी लाईन में खसरा न0 753 रकवा 2.15 के स्थान पर खसरा न0 754 रकवा 0.92 पढ़ा जावे, तथा पैरा 7 की लाईन में खसरा न0 758 रकवा 0.35 और जोड़ने के आदेश दिये जाते हैं । यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग मानी जावेगी । सदस्य	